

सं. का/254/4-वाणिज्य/30प्रतिशत/एलडीसीई/2019 (I)

1. मुवाप्र/मुवाप्र/आहार एवं पीएस/मुवाप्र/एफएमएस/गोरखपुर।

2. अपर महाप्रबन्धक/वरिष्ठ उप महाप्रबन्धक/सचिव/महाप्रबन्धक/गोरखपुर।

3. उपमुसताधि/यातायात/उपमुवाप्र/पीएस/उपमुदाधि/उपमुवाप्र/यूटीएस/प्रेजेंटिंग अधि०/गोरखपुर।

4. मंरेप्र/वमंकाधि/वमंवाप्र/मवाप्र/इज्जतनगर,लखनऊ, वाराणसी।

5. वकाधि/निर्माण/गोरखपुर एवं सदस्य तकनीकी,रेल दावा अधिकरण/गोरखपुर,लखनऊ,पटना

6. महाप्रबन्धक/मुकाधि/आर ई/इलाहाबाद एवं सी पी एम/आर ई/गोरखपुर एवं लखनऊ।

7. महानिदेशक/आर डी एस ओ/लखनऊ एवं महानिदेशक/इरीटम/लखनऊ।

8. टीसीओ एवं सांख्यिकी अधिकारी/विधि अधिकारी/गोरखपुर।

9. सचिव/स्था०/रेलवे बोर्ड/नई दिल्ली एवं सलाहकार, निदेशक/सतर्कता, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली।

10. मैनेजिंग डायरेक्टर कारपोरेशन, नई दिल्ली एवं मिल रेल, सेना भवन, रेलवे बोर्ड/नई दिल्ली।

11. महाप्रबन्धक, मुकाधि/मुवाप्र/पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर।

12. प्रबन्ध निदेशक/डीएफसीसीआईएल/नई दिल्ली।

13. प्रिंसिपल/जेडटीएस/मुजफ्फरपुर/एसटीसी/गोरखपुर।

विषय:- सवाप्र,गुप-बी, 30प्रतिशत (एल डी सी ई) कोटा के विरुद्ध चयन के सम्बन्ध में।

1. 30प्रतिशत रिक्तियों के विरुद्ध सवाप्र (गुप-बी) के पद पर पदोन्नति हेतु सामान्य जाति के 02 (दो) पद की नामिका बनाने के लिए (एल डी सी ई) सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। लिखित परीक्षा का समय, तिथि व स्थान बाद में सूचित किया जायेगा। इस अधिसूचना को उपरोक्त परीक्षा के लिए तैयार रहने के लिए पूर्व सूचना के रूप में समझा जाय।

2. रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई (जीपी)2018/2/31 दिनांक 19.03.2019 के अनुसार उपरोक्त लिखित परीक्षा निम्नवत् दो भागों में होगी :-

क. प्री-क्वालिफाईंग लिखित परीक्षा- उक्त लिखित परीक्षा में मात्र एक प्रश्न पत्र होगा, जो 100 अंकों का होगा तथा उक्त प्रश्न पत्र में 100 प्रतिशत वस्तुनिष्ठ किस्म के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। अंकों का बटवारा निम्नवत् होगा -

तकनीकी विषय	40 अंक
सामान्य ज्ञान तथा वैकल्पिक राजभाषा के प्रश्न	30 अंक
स्थापना एवं वित्त संबंधी नियम	30 अंक

उक्त लिखित परीक्षा में 75प्रतिशत और उससे अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को ही रिक्तियों के पॉच गुना के बराबर मेन लिखित परीक्षा में बुलाया जायेगा।

ख- मेन लिखित परीक्षा- उक्त लिखित परीक्षा में Descriptive Type का केवल एक प्रश्न पत्र होगा। जिसमें 100 अंकों के व्यवसायिक प्रश्न होंगे। उक्त लिखित परीक्षा में 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी को ही मौखिक परीक्षा में बुलाया जायेगा।

3. इस सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा के लिए पात्रता की शर्त अनुलग्नक-अ के रूप में इस अधिसूचना के साथ संलग्न की जा रही है। कर्मचारी वेतनमान 9300-34800 + 4200 ग्रेड पे (लेवल-6) एवं ऊपर के वेतनमान में दिनांक 08.11.2019 को 05 वर्ष की Non fortuitous service पूरी कर चुके हैं, विकल्प देने हेतु पात्र होंगे। अधिसूचना के साथ संलग्न किये गये अनुलग्नक-अ में प्रस्तावित परीक्षा के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण भी दिया गया है।

01.10.20

.....2/-

4ए. ऐसे गुप-सी कर्मचारी जो कि उक्त सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा के 30 प्रतिशत चयन में सम्मिलित होने के इच्छुक है, अनुलग्नक-ब के रूप में संलग्न निर्धारित प्रपत्र पर अपने आवेदन पत्र अपने नियंत्रक अधिकारी को दिनांक 30.10.2020 तक अवश्य प्रस्तुत कर दें। अभ्यर्थी सभी कालम को पूर्णरूप से सही-सही भरे, नियंत्रक अधिकारी कर्मचारियों द्वारा आवेदन पत्र में भी सभी प्रविष्टियों को प्रमाणित करने का कष्ट करें। नियंत्रक अधिकारी द्वारा पूर्ण रूप से जाँच किए हुए आवेदन पत्र संबंधित कार्मिक अधिकारी द्वारा भी जाँच कराकर दिनांक 12.11.2020 तक उपमुकाधि/राज0 को अवश्य अग्रसारित कर दिया जाना चाहिए। अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र में वेतनमान 9300-34800+4200ग्रेड पे (लेवल-6) में नियुक्ति की नियमित तिथि का उल्लेख अवश्य होना चाहिए।

4बी. कृपया अनावश्यक पत्राचार और विलम्ब से बचने के लिए केवल उन्ही अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र इस कार्यालय को अग्रसारित करना चाहिए जिन्होंने उक्त परीक्षा के लिए पात्रता की सभी शर्तों को पूर्णरूप से भरा है तथा छठे एवं सातवें वेतन आयोग वेतनमान 9300-34800+4200ग्रेड पे (लेवल-6) में दिनांक 08.11.2019 तक 05 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हों। यह पाँच वर्ष की सेवा अप्रेंटिस अवधि जोड़कर मानी जायेगी। अपूर्ण तथा निर्धारित योग्यता न रखने वाले आवेदन पत्रों को बिना किसी सूचना के निरस्त कर दिया जायेगा।

5. लिखित परीक्षा अनुलग्नक-स के रूप में संलग्न पाठ्यक्रमों के आधार पर होगी। संलग्न पाठ्यक्रम की प्रति नियंत्रक अधिकारी द्वारा अभ्यर्थियों को अवश्य परिवारित (सरकुलेट) कर दी जानी चाहिए।

6. रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या हिन्दी/1/ओ एल/14/12 दिनांक 14.01.2002 एवं पत्र संख्या हिन्दी-94/रा.भा-1/10/8 दिनांक 25.01.96 एवं 14.06.96 के अनुसार व्यावसायिक योग्यता के लिए निर्धारित अंको का 10प्रतिशत अंक के बराबर प्रश्न राजभाषा नीति एवं राजभाषा नियमों से संबंधित विषयों पर आधारित होंगे। परन्तु ये प्रश्न अनिवार्य नहीं होंगे। यदि व्यावसायिक प्रश्न पत्र 100 अंक का होगा तो राजभाषा नियम से संबंधित प्रश्न 10 अंको का होगा। राजभाषा के प्रश्न केवल प्री-क्वालिफाइंग लिखित परीक्षा में होंगे।

7. नियंत्रक अधिकारियों से अनुरोध है कि उनके अधीन कार्यरत यदि कोई कर्मचारी अवकाश, प्रशिक्षण, प्रतिनियुक्ति पर हो या स्थानान्तरित कर दिया गया हो तो 30प्रतिशत चयन की इस अधिसूचना की प्रति सभी अनुलग्नकों के साथ पावती सहित रजिस्टर्ड डाक से उनके वर्तमान पते पर भेजवा दें और उनसे इस अधिसूचना में दी गयी निर्धारित अंतिम तिथि तक अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर भेजने हेतु निर्देशित किया जाय। उनके आवेदन नियंत्रक अधिकारी व संबंधित कार्मिक अधिकारी द्वारा जाँच व सत्यापित कर उपमुकाधि/राज को निर्धारित तिथि तक अवश्य भेज दिये जाय।

8. उपरोक्त परीक्षा के लिए पात्र कर्मचारियों में व्यापक प्रचार किया जाय। इस अधिसूचना की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा कर दी जाय।

9. कृपया इस अधिसूचना की प्राप्ति की पावती अंधोहस्ताक्षरी को अवश्य सूचित करें। सभी अभ्यर्थियों को यह भी सूचना दे दी जाये कि इस चयन की कोई अनुपस्थिति लिखित परीक्षा किसी भी दशा में नहीं होगी। प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा वेतनमान 9300-34800+4200ग्रेड पे (लेवल-6) में नियमित नियुक्ति की तिथि का उल्लेख आवेदन में अवश्य किया जाना चाहिए।

संलग्नक/अनुलग्नक-अ, ब एवं स (पाठ्यक्रम)

(राजेश कुमार पून्डरी)
सकाधि/राज
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव/मुवाप्र/गोरखपुर। कृपया कन्ट्रोल फोन द्वारा सभी मंडलों, यूनिटों एवं रेलवे बोर्ड को तदनुसार सूचित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/मुख्या0/गोरखपुर (यातायात)
3. रेलवे वेबसाइट प्रति।

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा के लिए पात्रता की शर्त

अ- कर्मचारी दिनांक 08.11.2019 को (70 प्रतिशत रिक्तियों के विरुद्ध अधिसूचना जारी होने की तिथि) ग्रुप-सी में कर्मचारी जो पे बैंड पी वी-2 (9300-34800) ग्रेड पे रु0 4200 (लेवल-6) एवं ऊपर के वेतनमान में पाँच वर्ष की Non fortuitous service पूरी कर चुके हैं, (जिसमें तदनुसूची पूर्व संशोधित वेतनमान में की गयी Non fortuitous service सम्मिलित होगी) पात्र होंगे।

For Group-‘B’ selection (30% LDCE quota), Group-‘C’ employees working in pay band PB-2 (Rs.9300-34800) with Grade pay of Rs.4200/- and above with 05 years of Non fortuitous service in the grade (including Non fortuitous service rendered in the corresponding pre-revised grades) will be eligible

दिनांक 08.11.2019 को (70 प्रतिशत रिक्तियों के विरुद्ध अधिसूचना जारी होने की तिथि) 05 वर्ष की Non fortuitous service मानी जायेगी।

ब- सभी अभ्यर्थी जो उपरोक्त (अ) में दी गयी पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हो, वे इस प्रतियोगितात्मक परीक्षा की प्री-क्वालिफाइंग लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों की किसी विशेष संख्या के किसी भी प्रतिबन्ध के बिना लिखित परीक्षा में बैठने हेतु पात्र होंगे।

स- केवल ऐसे कोटियो (कैटेगरी) के कर्मचारी जो सवाप्र, ग्रुप-बी के सामान्य बयन नियमों के अन्तर्गत ग्रुप-बी में पदोन्नति के लिए पात्र हो वे एल डी सी ई (सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा) में भी सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे।

2. परीक्षा की योजना (स्कीम)

अ. यह सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा अभ्यर्थियों के व्यवसायिक योग्यता के सम्यक, व्यापक व पूर्ण ज्ञान के आकलन हेतु परीक्षण के रूप में आयोजित होगी। यह लिखित परीक्षा निम्नवत् दो भागों में होगी।

1. प्री-क्वालिफाइंग लिखित परीक्षा लिखित परीक्षा
 2. मेन लिखित परीक्षा
- उक्त दोनों लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को ही मौखिक परीक्षा में बुलाया जायेगा।

ब- लिखित परीक्षा के लिए विषय और प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित अंको का विवरण निम्न होगा-

विषय	पूर्णांक	नोट
प्री-क्वालिफाइंग लिखित परीक्षा लिखित परीक्षा	100	उक्त लिखित परीक्षा में मात्र एक प्रश्न पत्र होगा, जो 100 अंको का होगा तथा उक्त प्रश्न पत्र में 100 प्रतिशत केवल वस्तुनिष्ठ किस्म के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। गलत जबाबों के नकारान्तम अंक होंगे। प्रत्येक गलत जबाब के लिए प्रत्येक प्रश्न हेतु आवंटित अंको में से एक तिहाई अंक काटा जायेगा।
मेन लिखित परीक्षा	100	उक्त लिखित परीक्षा में Descriptive Type का केवल एक प्रश्न पत्र होगा। जिसमें 100 अंको के व्यवसायिक प्रश्न होंगे। उक्त लिखित परीक्षा में 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी को ही मौखिक परीक्षा में बुलाया जायेगा।

मौखिक परीक्षा	अधिकतम अंक	योग्य पाये जाने हेतु कम से कम अंक
मौखिक परीक्षा	25	30अंक इन अंको में कम से कम 15 अंक सेवा अभिलेख के होंगे।
सेवा अभिलेख	25	
	50	

21.X.20

महाप्रबन्धक/कार्मिक
पूर्वात्तर रेलवे,
गोरखपुर।

उचित माध्यम द्वारा

विषय:- सवाप्र, ग्रुप-बी, 30प्रतिशत रिक्तियों के विरुद्ध चयन।

संदर्भ:- सं. का/254/4-वाणिज्य/30प्रतिशत/एलडीसीई/2019 (I) दिनांक .10.2020

उपरोक्त संदर्भित अधिसूचना के सम्बन्ध में, मैं उक्त परीक्षा में बैठने हेतु अपनी सहमति देता हूँ।, मेरा सेवा विवरण निम्नवत् है-

1. नाम- (हिन्दी में).....
(अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)
- 1बी- पिता का नाम.....
2. पद
(कार्यालय एवं स्टेशन)
3. पदस्थापना स्थल-.....
4. नियंत्रक अधिकारी
5. जन्मतिथि
6. क्या अजा/अजजा समुदाय के है (स्पष्ट लिखें)
7. यदि आप आरक्षित समुदाय के है, तो क्या चयन के पूर्व कोचिंग करना चाहते है, या नहीं
8. शैक्षणिक योग्यता
9. सेवा में प्रारम्भिक नियुक्ति-
(अ) पद
(ब) वेतनमान
(स) प्रारम्भिक नियुक्ति की तिथि
10. मूल नियुक्ति -
(अ) पद
(ब) वेतनमान
(स) इस ग्रेड में नियमित सेवा का दिनांक
11. स्थानापन्न नियुक्ति -
(अ) पद
(ब) वेतनमान
(स) इस ग्रेड में जिस तिथि से नियमित सेवा में है-
12. अर्हता के सम्बन्ध में विवरण-
(अ) ग्रेड 5000-8000/9300-39800 +4200 ग्रेड पे में नियमित आधार पर नियुक्ति की तिथि-
वर्ष.....माह.....दिन.....

मैं यह घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचनाएँ/घोषणा सत्य है, यदि गलत पायी जायेगी तो मुझे उपरोक्त गुप-बी पद से पदावनति किया जा सकता है।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर.....

पद.....

पी एफ नं.....

मो०नं०.....

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में दी गयी उपरोक्त सेवा विवरण एवं घोषणा को जाँचा गया एवं सही पाया गया है।

कार्मिक अधिकारी के हस्ताक्षर.....

कार्यालय मुहर.....

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पद स्टेशन..... मेरे अधीन कार्यरत है। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के प्रत्येक कालम में की गयी प्रविष्टि संबंधित कार्मिक अधिकारी द्वारा जाँचा एवं प्रमाणित किया गया है। अभ्यर्थी उपरोक्त चयन हेतु पात्र है।

नियंत्रक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी के हस्ताक्षर.....

कार्यालय मुहर.....

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री.....

पदनाम..... स्टेशन..... के

अन्तर्गत कार्यरत है। उसके आवेदन के प्रत्येक के सामने प्रविष्टि की गयी सूचना का संबंधित अधिकारी द्वारा जाँच और सत्यापन कर लिया गया है।

दिनांक.....

नियंत्रक अधिकारी के हस्ताक्षर

(कार्यालय मुहर)

बहुविवाह (एकाधिक) विवाह के सम्बन्ध में घोषणा

क- मैं विवाहित हूँ और मेरी एक जीवित पति/पत्नी है।

ख- मैं अविवाहित/विधुर हूँ।

ग- मैंने अपने पति/पत्नी के जीवित रहने के दौरान अन्य व्यक्ति से विवाह करार किया है। माफी (छूट) की स्वीकृति हेतु आवेदन संलग्न है।

मैं शपथ पूर्वक स्वीकार करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया उपर्युक्त विवरण और घोषणा विल्कुल सत्य है और मैं यह समझता हूँ कि मेरी पदोन्नति के उपरान्त उपर्युक्त घोषणा यदि असत्य पाई जाती है तो मुझे गुप-बी की सेवा से पदावनति लिए मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा।

आपका विश्वसनीय

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

अनुक्रमिक सं
15/11

SYLLABUS

PROFESSIONAL SUBJECT:

1. Acceptance and booking of traffic-forwarding notes-acceptance of small and wagon load traffic-direct/indirect loading systems-acceptance of indents allotment of wagon clearance of smalls packing and special conditions compulsory packing condition minimum weight conditions weightment/re-weightment of goods-declaration of goods differential rules-classification of goods-rating and routing of traffic classification of commodities-station to station rate-different charges, viz, wharfage, demurrage-crane percentage etc. expected articles booking of animals-booking of dangerous and offensive goods.

2. Sealing and labelling of wagon-delay in transit-diversion of wagons load traffic-disposal of seal defective wagons transport of smalls traffic repacking sheds and transshipment points.

Delivery of consignments undercharges-over-charges refund of over-charges-delivery of consignments-gate pass system delivery of consignment short of destination-disposal of consignments over-carried disposal of unclaimed and unconnected consignments.

Ancillary services-out agencies-City Booking Offices-street collection and street delivery system Quick transit service-Freight forwarder scheme-container service rail-road coordination.

3. Siddings-Assisted and private sidings-siding charges.

GENERAL KNOWLEDGE:

It should contain questions on subjects of interest as well as importance. The questions should be based as to test the knowledge of candidates, which they would acquire by general observation/reading without specific study or detailed knowledge of text books. The paper should also contain question on topics of national importance, achievements of Railways as also questions which will test the awareness of candidates to developments which are taking place. A few questions on official language policy and official language rules, will also be asked.

10% of the total marks allotted for testing the Professional ability will be set a part for question on the official language policy and official language Rules. However, these questions will not be compulsory for candidates.

PAPER-II

PROFESSIONAL SUBJECT:

- I. Marketing and Sales Activities at the level of divisions and headquarters-claim prevention and claims statistics Public Relations on Railways Public complaints and their disposal-liability of railways in case of accident to a passenger train.
- II. Constitution and functions of various consultative committees at National, Zonal and Divisional level.
- III. Liability of Railways Carriers of goods and animals.
- IV. Catering and vending services.
- V. Indian Railway Conference, Association- its functions-Railway Rates Tribunal and its functions.
- VI. Commercial Statistics-their usefulness.
- VII. Indian Railway Act-Chapter relating to Traffic facilities working of Railways, responsibility of Railways as carriers and penalties and offenses.

Financial and Establishment Rule:

I. Establishment Rule:

Personnel Management

1. Organisation of the personnel department in the Railway. The objectives of the Personnel Department functions and policies of the Personnel Department. Rules of the Personnel Officers in the Head Quarters and on the division.
2. Classification of service recruitment to the different services Gr.'A' to 'D' -Recruitment of artisan staff-special reservation in Railway Services, Rules of the Railway Service Commissions in Recruitment – Recruitment other than through usual channels- Promotion policy and Methods.
- 3- Personnel Supervisions – Leadership styles, Formal and informal leadership, leadership qualities, different leadership styles Domestic or participative leadership style , advantage of participations, Joint councils of Management, Negotiating machinery scheme, Zonal and Divisional Corporate Enterprise Group.
- 4- Inspection of Locoshed , C&W Depots stations Engineering offices.

LABOUR RELATIONS & WELFARE UNION AND THEIR RULES:

1. Important Recognised Trade Union in Railways, Roll of Un-recognised Union and methods of dealing with them.
2. Industrial dispute and the legislative frame – work, causes of Industrial disputes, basic remedies, the industrial disputes Act-1947, Strike, Lock-outes and lay off s, Handling of Grievances at Divisions and in the Head Quarters, Handling of Grievances by Labour enforcement officers.
3. The hours of employments, regulations, Overtime, Job Analysis and its technics.
4. The Factories Act, Special Rules for workshop staff in the Railway.
5. The Worksmens compensation at – Ex-gratia Payment, Incentive Bonus Scheme.

WELFARE

6. Pass Rules.
7. Retirement benefits under the Provident Fund and Pension Scheme, Final Settlement.
8. Welfare for the whole family of Railwaymen, Concept and practice obtaining on the Railway.

II. FINANCIAL RULES:

1. Parliamentary Control over Railway finance- Public Accountability canons of Financial Propriety .
- 2- Financial Planning and Budgeting – Budgetary and Financial, Reviews – Appropriation Accounts.
3. Rules of Allocations – Classifications of Expenditure Control over Expenditure- Responsibility Accounting – Performance Budgeting- Ex chequer General Financial Results of Working.
4. Works Programme – Financial Justifications of Work – Survey Preparation of Estimates – Capital Budget – Control over Capital Expenditure – Productivity Test.
- 5- Financial Control over Stores Expenditure= Purchase and Stores Keeping procedure – Inventory Control and ABC.
- 6- Financial and Cost Control in Railway Workshop.
- 7- Rules and Procedure relating to Tenders and Contracts for execution of work and procurement of Store.
- 8- Procedure of processing and finalizing the Audit objections and drop paras.
- 9- Delegation of Powers.
- 10- Losses, Frauds and embezzlements.

II. RECOMMENDED READING (FINANCIAL RULES)

1. Indian Railway General Code – Volume-I & II (Chapter-III, IX,XVII)
 - 2- Indian Railway Code for Accounts Department Pt.(Chapter-VIII)
 - 3- Indian Railway Administrations & Chapter-III, V, VII & VIII Finance- An introduction- 1st Edition.
 - 4- Indian Railway Code for the Engineering Department Chapter-II to V, IX to XIV.
 - 5- Indian Railway Code for the Stores Departments . Excluding Chapter- XV to XXX and XXXII.
 - 6- Report of the test. Force on Budgetary – First and Accounting and Management practices on Second Reports Railways.
 - 7- Report by the Committee on Technique of Financial Appraisal of Railway Projects.
 - 8- Indian Railway Code for Mechanical Department Chapter-VIII to XII
- A questions on official language policy and official language rules will also be included in the paper and General Knowledge.